न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपालसिंह आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या – 55/2009 (राजस्व वाद) दायर दिनांक – 5.2.2009
फैसल दिनांक– 18.4.2017

मन्दिर श्री रघुनाथजी भीलूडा द्वारा श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र जयशंकर शर्मा निवासी डूँगरपुर सैकेटरी मन्दिर रघुनाथजी ट्रस्ट भीलूडा जिला डूँगरपुर
1– महिपालसिंह अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवस्थान निधी डूँगरपुर
2– कन्हैयालाल पिता शान्तिलाल सेवक निवासी भीलूडा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– लालजी पुत्र कोदरा मीणा
2– भाणजी पुत्र कालिया मीणा मृतक जरिये वारिसान–
2/1 गटूलाल पुत्र भाणजी
2/2 मु0 कंकु पूत्री भाणजी
2/3 मु0 केसर पुत्री भाणजी
2/4 कडूअ बेवा भाणजी
3– बाला पिता कालिया
4– कुरिया पुत्र दीतीया मृतक जरिये वारिसान –
4/1 धुलजी पुत्र कुरिया
5– हुका पिता दीता मीणा मृतक जरिये वारिसान–
5/1 पुँजा पिता हुका मीणा
5/2 गटु पिता हुका मीणा
सभी जाति मीणा निवासी भीलूडा तहसील सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला
वकील प्रतिवादीगण– श्री दिनेश चौबीसा

दावा बाबत बेदखली एवं प्राप्त करने हर्जाना अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट

निर्णय

Scanned by CamScanner

वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत बेदखली व प्राप्त करने हर्जाना का पेश किया है।संक्षेप में वादीगण के वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम भीलूडा की आराजीयात 40 बीघा 04 बीस्वा कृषि भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी भीलूडा की है । इसे प्रतिवादीगण को भाग पर कमाने दी थी । बाद में वे काबिज हो गये तथा फसल का भाग नहीं देने अथवा लगान राशि भी नहीं देने से कब्जा व हर्जाना तीन वर्ष की उपज का 30000/– रूपये व कब्जा सुपुर्द नहीं करने तक प्रतिवर्ष रूपया 10000/– दिलाये जाने का डिक्री पारित की जावे । आराजीयात 40 बीघा 04 बिस्वा का आराजी नम्बर व रकबा एवं किस्म वाद पत्र के पैरा संख्या 03 में उल्लेखित होने से यहां पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है ।

वादीगण के वाद से अवगत होकर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में पैरा संख्या 3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि भगवान रघुनाथ मंदिर भीलूडा के खातेदारी में अभी भी होना , पौरा संख्या 10 में शान्तिलाल पुजारी करीब 60 वर्ष का होने व उसके द्वारा मूर्ति की पूजा करना स्वीकार किया तथा आगे पैरा संख्या 11 में प्रकट किया कि प्रतिवादीगण लगान देने को तैयार हैं लेकिन वादीगण रसीद देना नहीं चाहते तथा अन्त में कहा कि रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से यह वाद निरस्त फरमावें । वाद पत्र के शेष पैराज को अस्विकार किया ।

उभयपक्षों की प्लीडिंग्स के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई :–

तनकी संख्या 1 :– आया श्री दाडमचन्द गांधी को देवस्थान निधी डूँगरपुर द्वारा मंदिर रघुनाथजी भीलूडा का मैनेजर नियुक्त किया है एंव वाद पेश करने का हकदार है ? (वादी)

तनकी संख्या 2:– आया श्री कन्हैयालाल सेवक मंदिर के जायज पुजारी है और वाद लाने के हकदार है ? (वादी)

तनकी संख्या 3:– प्रतिवादीगण मौजा भीलूडा के खाता संख्या 680 श्री रघुनाथजी महाराज के उपकृषक है । यदि हां तो किस संवत से एवं किस आधार से उपकृषक बने हैं ? (प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 4 :– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह पीडब्लू–1 कन्हैयालाल , पीडब्लू 2 रमणलाल , पीडब्लू 3 हीरालाल

Scanned by CamScanner

व पीडब्लू–4 दाडमचन्द के बयान लेखबद्ध कराये गये । दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज जमाबन्दी खाता संख्या 674/680 संवत 2045 से 48 की प्रदर्श – 1, जमाबन्दी संवत 2022 प्रदर्श पी–2 , खाता संख्या 2/798 की तथा जमाबन्दी खाता संख्या 776 संवत 2022 प्रदर्श पी–3 प्रदर्शित करवाये गये ।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डीडब्लू–1 लालू , डी डब्लू–2 भाणजी के बयान लेखबद्ध कराये तथा उनकी ओर से भी दस्तावेज प्रदर्श ए–1 निर्णय की टाईप कॉपी व प्रदर्श – ए –2 निर्णय अपील आदि प्रदर्शित कराये गये ।

उभय पक्षो की बहस सुनकर पारित निर्णय दिनांक 27/3/95 के द्वारा वादीगण का वाद निरस्त करते हुए प्रतिवादीगण को खाता संख्या 674 /680 कुल किता 37 रकबा 40 बीघा 04 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया । इस निर्णय के खिलाफ वादीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 23/6/95 को प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 16/10/95 द्वारा खारीज किया गया ।

इस आदेश दिनांक 16/10/95 के खिलाफ वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 2/8/2007 को स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने पर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु दर्ज किया जाकर नया नम्बर 55/2009 पर अंकित किया गया ।

प्रकरण में दिनांक 11/2/2004 को एक ओर तनकी निम्न प्रकार कायम की गई :–

4– आया वादी का दावा पूर्व निर्णय (रेसज्यूडिकेटा) से बाधित है? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी ने गवाह डीडब्लू –3 धूलजी के बयान कराकर शहादत समाप्त की ।

वादी की पुनः सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 5 हुका की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम गटू पिता हुका को बनाये जाने पर व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के कायम मुकाम निगरानी के अनुसार रेकार्ड पर आने से वादीगण की तरफ से संशोधित कॉज टाईटल पेश किया गया लेकिन बाद में इस संशोधित कॉज टाईटल में टाईपिंग त्रूटि बतलाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम पूर्ववत लालजी ही संशोधित करने व संख्या 4 का नाम व संख्या 5 के पिता का नाम संशोधित करने हेतु प्रार्थना

Scanned by CamScanner

पत्र पेश किया जो उभयपक्षों को सुनकर स्वीकार किया जाकर संशोधित कॉज टाईटल रेकार्ड पर लिया गया तथा पत्रावली बहस अंतिम हेतु प्रोंसिड की गयी।

उभयपक्षों की तरफ से बहस अंतिम सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया । मामले मतें वादीगण की ओर से बहस के दौरान यह दलील दी गई कि वादीगण ने उसके जिम्मे की तनकीयात संख्या 1 व 2 को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने पक्ष में सिद्ध कर दिया है । तनकी संख्या 1 कि दाडमचन्द मंदिर का मैनेजर नियुक्त होकर वाद पेश करने का हकदार होने बाबत है तथा तनकी संख्या 2 यह है कि कन्हैयालाल मंदिर का पूजारी है तथा वह भी वाद लाने का हकदार है । दोनो तनकीयों के समर्थन में गवाह पीडब्लू–1 कुन्हैयालाल व गवाह पीडब्लू–4 दाडमचन्द ने बयान देकर प्रमाणित किया है कि वे वाद लाने के लिए किस प्रकार अधिकारी है तथा जिरह के दौरान इन दोनो की साक्ष्य अखण्डित रही है ।इसके अलावा प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकी संख्या 3 कि यदि प्रतिवादीगण मंदिर भूमि के उपकृषक है तो किस संवत से किस आधार से उप कषक है तथा तनकी संख्या 4 जो रेसज्यूडिकेटा बाबत है इसे प्रमाणित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। । वाद के दौरान वादी दाडमचन्द की मृत्यू हो जाने से उसके स्थान पर ट्रस्ट की तरफ से महिपालसिंह अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवस्थान निधी का नाम प्रतिपादित किया गया ।

वादीगण की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि वादीगण का वाद बेदखली के साथ हर्जाना का भी है इसके लिए प्रथक से तनकी की आवश्यकता नहीं रहती है चूँकि दादरसी (अन्य अनुतोष)के अन्तर्गत यह हर्जाना धारा 209 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण पाने के हकदार है ।

इसके विपरित प्रतिवादीगण की तरफ से दलील दी गई है कि गवाहान डीडब्लू 1 लालू व डीडब्लू 2 भाणजी की साक्ष्य के अनुसार तनकी संख्या 3 के तहत किस प्रकार उपकृषक है। यह तथ्य प्रमाणित है तथा गवाह डीडब्लू 3 धूलजी की साक्ष्य के अनुसारा तनकी संख्या 4 भी प्रमाणित है कि यह वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित है ।

हमने उभय पक्षों के द्वारा दी गई दलीलो तथा प्रस्तुत न्याय निर्णय में प्रतिपादीत सिद्धान्त पर मनन किया । अब प्रत्येक तनकी पर हमारा विनिश्चय निम्न अनुसार है ।

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 1 :–

यह तनकी इस प्रकार है कि आया दाडमचन्द गांधी लक्ष्मण देवस्थान निधि डूँगरपुर द्वारा मंदिर रघुनाथजी भीलूडा के लिए मैनेजर नियुक्त किया है एवं वाद पेश करने का हकदार है ।

इस प्रकरण के पूर्व निर्णय में इस तनकी संख्या 1 को अनिर्णित रखा जाने से इसे निर्णित किया जाना है । इस सम्बन्ध में वादीगण के वाद पत्र के पैरा संख्या 1 के अनुसार यह प्लीडिंग है कि श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि द्वारा वादी दाडमचन्द गांधी को मैनेजर नियुक्त किया गया है । इसके संबंध में प्रतिवादी ने जवाबदावा में अभवचन किया है कि जानकारी के अभाव में अस्वीकार है ।

गवाह पीडब्लू 4 दाडमचन्द ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मंदिर की देखरेख लक्ष्मण देवस्थान निधि द्वारा की जाती है तथा निधि के अन्तर्गत मंदिरों मै निरीक्षक हूँ । इन्सपेक्टर सभी मंदिरों का व मैनेजर किसी खास मंदिर का होता है इसी तरह से गवाह पीडब्लू –2 कन्हैयालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि रघुनाथजी मंदिर भीलूडा , लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट की देखरेख में है तथा इसके मैनेजर दाडमचन्द गांधी है जो इन्सपेक्टर लक्ष्मण देवस्थान निधि के पद पर है । उक्त दोनो गवाहान की साक्ष्य जिरह में अखण्डित व अकाट्य रही है जो विश्वसनीय प्रतीत होती है । प्रतिवादीगण के गवाहान डब्लू–1 लालू , डीडब्लू–2 भाणजी व डब्लू–3 धुलजी ने अपनी साक्ष्य में वादीगण की साक्ष्य के खिलाफ लेशमात्र भी कथन नहीं किया है । इस प्रकार वादी दाडमचन्द का वाद के समय मैनेजर होना एक निर्विवाद तथ्य है । यह वाद पेश करने का वह हकदार किस प्रकार है इस बाबत विवेचन आगे किया जा रहा है ।

तनकी संख्या 2 :–

यह तनकी भी पूर्व निर्णय में अनिर्णित ही रखे जाने से इसे भी ~~निष्कर्षित~~ निर्णित किया जाना है । यह तनकी इस प्रकार है कि आया श्री कन्हैयालाल सेवक मंदिर के जायज पुजारी है तथा वाद लाने के हकदार है । इस संबंध में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वादी की प्लीडींग है कि श्री कन्हैयालाल पिता शान्तिलाल सेवक मंदिर के पूजारी है जो प्रतिदिन मंदिर की सेवा पूजा करते हैं । इसके समर्थिन में वादी के गवाह पीडब्लू 4 दाडमचन्द का मुख्य परीक्षण में कथन है कि अभी मंदिर का पूजारी कन्हैयालाल है इसके पहले शान्तिलाल उसके पिताजी

Scanned by CamScanner

पूजारी थे । गवाह पीडब्लू 1 कन्हैयालाल स्वयं ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मै रघुनाथ मंदिर भीलूडा का पूजारी हूँ । मुझें पूजारी नियुक्त किया है । गवाह पीडब्लू 3 रमणलाल का मुख्य परीक्षण के प्रारम्भ में कथन है कि मंदिर के पूजारी श्री कन्हैयालाल है ।

प्रतिवादीगण के गवाहान डीडब्लू 1 लालू ने जिरह में कथन किया है कि मंदिर रघुनाथजी भीलूडा की पूजा कन्हैयालाल करता है इसे मैं सात आठ वर्षों से जानता हूँ । इसी तरह गवाह डीडब्लू –2 भाणजी ने भी अपने बयान जिरह में कथन किया है कि रघुनाथजी मंदिर भीलूडा की पूजा वादी कन्हैयालाल करता है । इस प्रकार प्रतिवादीगण के जवाबदावा के पैरा संख्या 2 में किया गया अभिवचन कि स्वीकार नहीं है तथा सेवा पूजा कन्हैयालाल द्वारा नहीं वरन् शान्तिालाल सेवक द्वारा की जाती है । प्रतिवादीगण का यह अभिवचन स्वयं की साक्ष्य से ही अप्रमाणित हो जाता है ।

अतः उक्त साक्ष्य से भलीभांति सिद्ध होता है कि तनकी संख्या 1 के अनुसार वादी दाडमचन्द मैनेजर व तनकी संख्या 2 के अनुसार वादी कन्हैयालाल मंदिर का वर्तमान पुजारी है ये दोनो वादीगण वाद पेश करने किस प्रकार हकदार है आगे विवेचन किया जा रहा है । यहां दी डूँगरपुर देवस्थान निधि एक्ट 1948 रेकार्ड पर है इसके अन्तर्गत श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि डूँगरपुर सृजित ट्रस्ट है इसकी अनुसूची एक में उल्लेखित मंदिर की सूची के क्र0सं0 26 पर मंदिर श्री रघुनाथजी भीलूडा दर्ज है यह एक्ट राजपत्र में प्रकाशित होकर सरकारी अभिलेख है तथा इसका ज्यूडिशियल नोटिस लिया जाता है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष महिपालसिंह है जिनका नाम अब वादी संख्या 1 के रूप में प्रस्थापित है ।

तनकी संख्या 1 व 2 के दूसरे वाक्यांश के अनुसार मंदिर के मैनेजर व पूजारी दावा पेश करने के लिए किस प्रकार हकदार है इसे निम्न प्रकार विवेचित किया जाता है ।

वादी एक मंदिर होकर इसमें श्री रघुनाथजी की मूर्ति विराजमान होना साक्ष्य व एक्ट 1948 के अनुसार एक निर्विवादित तथ्य है तथा विधिक प्रतिपादनाओं के अनुसार मंदिर की मूर्ति का शाश्वत अवयस्क होना भी एक स्थापित कानून है तथादी हिन्दू माइनोरिटी एण्ड गार्जियनशीप एक्ट 1956 के अनुसार शाश्वत नाबालिग का हित सर्वोपरि होना माना गया है ऐसी स्थिति में मंदिर मूर्ति के हितों

Scanned by CamScanner

की रक्षा हेतु उसकी तरफ से कोई भी हितबद्ध या हित रखने वाला व्यक्ति वाद ला सकता है । तथा वादीगण धारा 2(9)राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत से वाद लाने के हकदार है । इसलिए मंदिर मूर्ति के हितों की ~~क~~रक्षा के मुकाबले प्रतिवादीगण की यदि कोई आपत्ति है तो वह बेअसर व अमान्य है ।

इस प्रकार सारभूत रूप से यह भलीभांति स्पष्ट होकर सिद्ध है कि मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है उसकी तरफ से मंदिर का मैनेजर व पुजारी अपनी इस हैसियत के अनुसार वाद लाने के हकदार है । इस प्रकार मेरे विनम्र अभिमत के अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण अपने पक्ष में भलीभांति सिद्ध करने में सफल रहे है । अतः तनकी संख्या 1 व2 वादीगण के पक्ष में व खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 :–

यह तनकी इस प्रकार है कि प्रतिवादी मौजा भीलूडा के खाता संख्या 680 श्री रघुनाथजी महाराज के उपकृषक है। यदि हां तो किस संवत व किस आधार से उपकृषक बने हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस संबंध में प्रतिवादीगण के गवाह संख्या डीडब्लू 1 लालू ने मात्र इतना ही कहा है कि प्रतिवादीगण कमा रहे है । आगे गवाह डीडब्लू 2 भाणजी ने जिरह की प्रारंभिक पंक्ति में कहा है कि मैं मंदिर की कितनी बीघा जमीन कमाता हूँ पता नहीं । यह गवाह जिरह में आगे कहता है कि मैनें पटवारी को कहा था कि मंदिर रघुनाथजी के खाते की जमीन है इसलिए लगान आप जमा मत करो पटवारी नही मानता है । फिर आगे जिरह में कथन करता है कि शुरू शुरू में भाग पर कमाने किसको दी मुझे पंता नहीं पहले कोदरा को कमाने दी हो तो मुझे पता नही है।

इस पकार प्रतिवादीगण की साक्ष्य से कहीं यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वस्तुतःवे मंदिर की भूमि के उपकृषक हो । कोई भी गवाह यह भी नहीं कहता है कि प्रतिवादीगण किस संवत से किस आधार से उपकृषक बने हुए है । इस संबंध में वादीगण का गवाह पीडब्लू 1 कन्हैयालाल का मुख्य परीक्षण में कथन है कि हमने प्रतिवादीगण को जमीन आधे भाग पर कमाने दी थी । प्रतिवादीगण ने भाग यानि हिस्सा देना बंद कर दिया इसलिए प्रतिवादीगण को बेदखल करने का दावा

Scanned by CamScanner

किया है । इस गवाह ने आगे स्पष्ट कथन किया है कि प्रतिवादीगण जबरन काश्त करते हैं उनका अतिक्रमण है , हिस्सा देना बन्द कर दिया है ।

आगे जिरह में इस गवाह पीडब्लू 1 ने जिरह में कथन किया है कि यह सुझाव गलत है कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि के शिकमी काश्तकार हो । वादी का गवाह पीडब्लू –4 दाडमचन्द का भी कथन है कि भाग देने का कहते रहे लेकिन भाग नहीं देते है। गवाह डीडब्लू क3 हीरालाल ने भी मुख्य परीक्षण मूं कथन किया है कि 15–17 वर्ष से प्रतिवादीगण ने भाग देना बंद कर दिया है । दस्तावेज प्रदर्श पी–1 जमाबन्दी है । यह भी वादीगण की मदद करता है इस दस्तावेज के खण्डन में प्रतिवादी ने कोई जिरह नहीं की है तथा न ही प्रतिवादीगण ने खण्डन में कोई दस्तावेज पेश किया है ।

इस तनकी संख्या 3 बाबत निश्चियात्मक स्थिति इस प्रकार है :–

यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी भीलूडा के खूद के खाते की है । यह भी प्रतिपादित है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क होकर एक ज्यूरिस्टिक परसन है जो किसी भूमि को व्यक्तिगत रूप से काश्त करने में असमर्थ है । अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(25)के अनुसार भूमि वैयक्तिक रूप से जोती गई समझें जाने का प्रावधान है ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(I)(ए) के अनुसार मंदिर की भूमि को संरक्षित किया गया है । तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी को भी मंदिर की भूमि में खातेदारी या उपा खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । यहां तक कि मंदिर मूर्ति के मामले में दीर्घकाल की अवधि के कब्जे के आधार पर भी ऐसे अधिकार नहीं दिये जा सकते है। हालाकि प्रतिवादीगण का न तो ऐसा कोई अभिवचन है तथा न ही ऐसा कोई काउण्टर क्लेम रेकार्ड पर है । उक्त स्पष्ट स्थिति के अनुसार प्रतिवादीका का स्टेटसं उपकृषक कतई नहीं है फिर भी कुछ क्षण के लिए यदि यह माना जाता है तब भी ऐसे अधिकार मंदिर मूर्ति के मामले में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा भी नहीं दिये जा सकते हैं । यहां पर यह भी विचारणीय है कि विवादग्रस्त खाता तनकी के अनुसार 680 है न कि अभिलेख के अनुसार खाता संख्या 674/680 है ।

कानूनी स्थिति के अनुसार मंदिर की तरफ से काश्त पर दी गयी भूमि पर मंदिर की असहमति के बाद प्रिंसिपल ऑफ टिनेन्ट लागू नहीं होगा ओर

Scanned by CamScanner

हर सूरत में खातेदारी की असहमति से काश्त करने वाले की हैसियत धारा 5(44)राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत एक अतिकमी की होगी । इसलिए हमारे विनम्र अभिमत में हस्तगत मामले में प्रतिवादीगण अतिकमी होने से उन्हे कानून के विरूद्ध जाकर कोई संरक्षकता या सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है । इसके अलावा इस मामले में राजस्थान राज्य की तरफ से भूमि लेण्ड होल्डर पक्षकार भी नही है ।

इस प्रकार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के न तो उपकृषक है तथा नही कानूनी रूप से उपकृषक हो सकते है । इसलिए किस संवत व किस आधार पर उपकृषक हुए इसका प्रश्न ही पैदा नही होता है । अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रतिवादीगण यह तनकी सिद्ध करने में विफल होने से यह तनकी संख्या 3 खिलाफ प्रतिवादीगण व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4 :–

यह तनकी रेसज्यूडिकेटा बाबत होकर यह प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकी है । यह तनकी माननीय राजस्व मंडल अजमेर से प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के बाद न्यायालय द्धारा विरचित की गई है । प्रतिवादी पक्ष का प्रतिवाद यह है कि वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत पूर्व के वाद मूं निर्णय हो जाने से यह वाद वर्जित है । इस संबंध में पूर्व का वाद न्यायालय द्धारा वादीगण के पक्ष में निर्णित होकर डिक्री हुआ है लेकिन माननीय अपीलीय न्यायालय की अपील में निर्णय को निरस्त करते हुए प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार नहीं मानकर उपकृषक होना व रेन्ट देते रहेंगे ऐसा आदेशित किया गया है इस तनकी के बाबत प्रतिवादीगण की तरफ से प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के पश्चात गवाह डीडब्लू– 3 धूलजी के बायान कराये है । उसने अपने कथन में मात्र इतना ही कहा है कि पूर्व में चले मामले का निर्णय हुआ है लेकिन यहां उसने पूर्व के वाद व निर्णय का कोई स्पेसिफिक जिक नहीं किया है ।

इस बाबत वादीगण का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 2/8/1975 के अनुसार प्रतिवादीगण को उपकृषक माना है लेकिन कानूनी स्थिति के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार मंदिर की भूमि संरक्षित होकर उसके खूद काश्त की होने से इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के काश्तकारी अधिकार या उप काश्तकारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । इसलिए माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन व गैर कानूनी

Scanned by CamScanner

निर्णय होने से सर्वप्रथम तो इस मामले में रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । मेरे विनम्र अभिमत के अनुसार वादीगण के इस तर्क में बल होना पाया जाता है । आगे वादीगण का तर्क यह है कि नाबालिग का हित सर्वोपरि होने से मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग होने से जिला न्यायालय की अनुमति बिना उसकी सम्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इसलिए माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय वादीगण पर बाध्यकारी नही है ।

वादीगण का आगे यह तर्क है कि रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से वाद बाधित होने की दलील इस रूप में अमान्य है कि पूर्व निर्णय की पालना हेतु प्रतिवादीगण को उपकाश्तकार कायम हेतु नामान्तरकरण कार्यवाही पटवारी भीलूडा द्वारा तहसीलदार सागवाडा के समक्ष दिनांक 4/11/1995 को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सागवाडा ने माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयों का हवाला देते हुए नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज करने के प्रति असहमति प्रकट कर टिप्पणी की है कि मंदिर की भूमि पर मूर्ति का ही नाम राजस्व रेकॉड में दर्ज होगा तथा अन्य व्यक्तियों का नाम यदि हो तो उसे विलोपित किया जाये । अतः नामान्तरकरण खारीज किया जाता है वादीगण ने इस टिप्पणी की प्रति प्रस्तुत की है ।

हमारे द्वारा इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न शीर्ष न्यायालयों के निर्णय के आधार पर मंदिर मूर्ति की भूमि के बाबत मार्गदर्शक परिपत्र जारी किये गए है उनसे भी हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया जो इस प्रकार है –

A) NO.F 396030Rev./Gr. 4276 dated 302321977

It should also be ensured that lands held by Deity and Recorded a such in the name of the Deity in the jamabandi Contiyues to be recorded in the name of Deity .

B) कमांक प–2 (4)राज./4/90/37 दिनांक 13/12/1991

विषय :– मंदिर देवमूर्ति की खातेदारी भूमि में देवमूर्ति के साथ नाम के संबंध में ।

देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावे। जमाबंदी में पूजारी का नाम विलोपित किया जावे । इस परिपत्र से यही तात्पर्यित है कि जब किसी पूजारी या शिवायत का नाम रेकॉड में नहीं जोडा जा सकता तो

Scanned by CamScanner

इसका इनफरेन्स यही है अन्य व्यक्ति का नाम तो जोडा ही नहीं जा सकता है अर्थात मूर्ति मंदिर की भूमि का कभी कोई उपकृषक नहीं हो सकता है ।

ये समस्त परिपत्र केवल प्रशासनिक रूप से नही वरन अपने अधिनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को कानूनी प्रावधानों , उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों के निर्णय जो बंधनकारी प्रभाव रखते हैं इस स्थिति से सावचेत कर लिटिगेशन से बचने हेतु प्रसारित होकर कानूनी बल रखते है।

जहां तक रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त को ऑपरेट होने का प्रश्न है प्रतिवादीगण इस आपत्ति के समर्थन में वाद व जवाब दावा को भी पेश करने में विफल रहे हैं इसके अभाव में भी सम्यक विचार नहीं किया जा सकता है । यहां तक कि दस्तावेज प्रदर्श पी–1 जो पेश हुआ है यह मात्र बिना हस्ताक्षरित टाईप प्रति है । इसके समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से प्रकट होकर मार्गदर्शन प्राप्त होता है ।

1. आर.आर.डी. 1985 पृष्ठ 581 शाहबुद्धिन बनाम छोगा
   अभिनिर्धारित –

   Held findings of lower courts could not be sustained in absence of pleadings and issues of previous suit.

2. आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 281 तोताराम बनाम धुलजी
   अभिनिर्धारित –

   Written statement and issues framed in the former suit not submitted nothing can be said about the similarity of the former suit and present suit – principle of res judicata does not apply .

इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण जिस निर्णय के आधार पर रेसज्यूडिकेटा ऑपरेट होने की दलील दे रहे हैं उस कथित निर्णय को समग्र रूप से पढने पर यहा पाया जाता है कि प्रतिवादीगण को रेन्ट देने की शर्त के आधार पर उपकृषक रहने को कहा है । जबकि उपकृषक के ऐवज में कोई रेन्ट निर्णय दिनांक 2/8/1975 से आज तक प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

वादीगण को अदा करने में केवल विफल ही नहीं वरन इरादतन विफल रहे है ।

इसके अलावा माननीय अपीलेण्ट न्यायालय नरे अपने निर्णय में प्रतिवादीगण के उपकृषक होने की कोई घोषणा नहीं की है वरन रेन्ट तक रहने को कहा ह"अब यवह आज ही समाप्त हो चुका है तथा रेन्ट तक रहना स्थाई नही वरन अस्थाई स्थिति के रूप में है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का रेसज्यूडिकेटा का उजर एक पक्षीय होकर मेरे विनम्र मत में प्रतिवादीगण स्वयं की विफलता व त्रूटि का कोई कानूनी फायदा लेने के हकदार नहीं होने से उनका यह उजर काबिल निरस्त है ।

हमारे द्वारा इस तनकी बाबत कानूनी स्थिति पर भी गौर किया गया इसके अनुसार प्रतिवादीगण की रेसज्यूडिकेटा की आपत्ति पर कथित निर्णय पर विचार किया जाने पर भी वर्तमान स्थिति में कथित निर्णय के निष्पादन की अवधि समाप्त हो जाने से कथित निर्णय हमारे विनम्र अभिमत में इनइफेंक्टिव होने स 'अब निष्पादन योग्य नहीं रहा है तथा निष्पादित नहीं किया जा सकता है तथा आज दिन तक इसका निष्पादन नहीं हुआ है जबकि लीमीटेषन एक्ट 1963 की धारा 136 के अनुसार निष्पादन 12 वर्ष मे हो जाना चाहिये था । इसलिए भी हमारे विनम्र अभिमत में अन्य बिन्दुओं के साथ साथ उक्त कानूनी स्थिति के अनुसार भी वादीगण का वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित नहीं है । इस प्रकार यह तनकी संख्या 4 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

दादरसी :–

वाद के अनुतोष क्लॉज (घ)के अनुसार यह तनकी कायम की गई है इस कम में यह कि इस वाद के अभिवचन संख्याा 11 के अनुसार उपज का हिस्सा वादी कन्हैयालाल को नहीं देने व संख्याा 13 के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात का भाग दिये बिना भी काबिज है तथा बिना भाग दिये बिना काश्त करने व उपज प्राप्त करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है । आगे अभिवचन के अनुसार प्लीड

Scanned by CamScanner

किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात की उपज का हिस्सा नही देने से वादी को प्रतिवर्ष 10000/– दस हजार रूपयों का हर्जाना का नुकसान होता है वादीगण प्रतिवादीगण से वाद पूर्व तीन वर्षों का हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

आगे अनुतोष संख्या (ख) के अनुसार चाहा गया है कि तीन वर्ष का खेती की उपज का हर्जाना 30000/– व कब्जा सुपुर्द नहीं करने तक प्रतिवर्ष का रूपया 10000/– दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के पैरा संख्या 11 में प्लीड किया है कि प्रतिवादीगण लगान देने तैयार है लेकिन मूर्ति के नैक्स्ट फ्रेन्ड रसीद देना नहीं चाहते ।

यह कि मुख्य परीक्षण में गवाह पीडब्लू 1 कन्हैयालाल ने उक्त अभिवचनों की पुष्टि में व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण ने हिस्सा देना बंद कर दिया है साल भर में दो फसलें होती है तथा एक बडा बीड है जिसमें दो तीन ट्रक घास होती है कुल मिलाकर रू0 10000/–की आय होती है तथा सालाना 10000/–हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 2 भाणजी स्वयं ने डीडब्लू 2 के रूप में मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि फैसले के अनुसार हम भी लगान देने तैयार है । मन्दिर को वराड देने तैयार है हमने कभी उपज का भाग नहीं दिया । आगे जिरह में कथन किया है कि मैं दस ग्यारह खेत कमाता हूँ उसमें मक्की ,भीण्डी,सरसों,की फसल कमाता हूँ । चार बोरी मक्की पकती है उडद ,गुहार ,भीण्डी चालीस किलो होती है । चने पांच मण मिलते हैं सरसों दो मण पकते है । मै जिन खेतों को कमाता हूँ हर साल दो हजार रूपये की आमदनी होती है । सेवा पूजा का कभी मैने खर्चा पूजारी को नहीं दिया है । मांगे तो दे सकता हूँ । प्रतिवादी का गवाह डीडब्लू –2 लालू जिरह में कथन करता है कि इस विवादित आराजीयात में गुवार मक्की ओर उडद की फसल होती है ।

Scanned by CamScanner

वादी के उक्त अभिवचन व वादी की साक्ष्य , जिरह में अकाट्य व अखण्डित रही होने से तथा प्रतिवादी द्वारा भी इस साक्ष्य का समर्थन करने से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण काश्त करते हुए उपज प्राप्त करते हैं जो प्रतिवार्ष की आय के रूप में 10000/–से कम नहीं है । यहां यह भी स्पष्ट किया जाना समीचीन है गवाह डीडब्लू 2 भाणजी जो मामले में प्रतिवादी संख्या 2 है उसने उसके हिस्से की 10–11 खेतो की काश्त भूमि की उपज की राशि प्रतिवर्ष 2000/– का होना वर्ष 1994 में अर्थात 22–23 वर्ष पूर्व कथन किया है । जबकि 22–23 वर्ष बाद उपज की कीमत कई गुना बढी है तथा कुल खेत 37 होकर भूमि 40 बीघा 4 बीस्वा है । शेष चार प्रतिवादीगण वीटनेस बॉक्स में नहीं आये हैं इसलिए शेष चारों की आय उपज के रूप में कम से कम प्रति व्यक्ति रूपया 2000/– आंकी जावे तब भी यह रूपया 10000/– निर्धारित होती है । तथा वादी ने वाद दायरी दिनांक 25–11–1988 से पूर्व अपने दावे में प्रतिवर्ष का रूपया 10000/– के रूप में कुल तीन वर्षों का रूपया 30000/– क्लेम किया है जो जायज है तथा वाद दायरी दिनांक 25–11–1988 से प्रतिवर्ष का कम से कम रूपया 10000/– हर्जाना आंकलित करने पर राशि 28 वर्ष अर्थात 25–11–2016 तक की रूपया 280000/– होती है जो आगे ताकब्जा निरन्तर रहेगी ।

इस प्रकार उभय पक्षों के अभिवचन व साक्ष्य के आधार पर वादी प्रतिवादीगण से संयुक्त व प्रथकतः क्लेम किया गया हर्जाना धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है । जो दायरी दावा से अदायगी प्रतिवर्ष का रूपया 10000/– की दर से दिलाया जाने की डिक्री प्रदान करना उचित है ।

इस वाद में यह पाया जाता है कि यह वाद 28 वर्षों से भी अधिक का समय तक लंबित रहा है आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि प्रतिवादीगण 40 बीघा 4 बिस्वा जमीन की काश्त की उपज तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उन्होंने वाद दायरी दिनांक 25–11–1988 से आज समय तक उपज का कोई हिस्सा वादीगण को नहीं दिया है

Scanned by CamScanner

तथा वादीगण के क्लेम के अनुसार उन्हें वाद दायरी से 3 वर्ष पूर्व का हर्जाना क्लेम दिनांक 25–11–1985 से देय योग्य है । अर्थात आज तक 31 वर्ष तक का हर्जाना व आगे ताअदायगी तक प्रतिवर्ष का हर्जाना वादीगण प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं । मेरे विनम्र अभिमत के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जो मंदिर सेवा पूजा के खर्च की परवाह किए बिना भगवान की जमीन पर अनाधिकार कब्जा कायम रखते हुए मंदिर को लीटीगेशन में उलझाने में रूचि रखते हैं ऐसे पक्षकार को आराजी से बेदखल किया जाना मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी के लिए ही नही वरन् समस्त जन नागरिकों के लिए आवश्यक है । इसका समर्थन 2002(3) WLM502 नत्थी बनाम राजस्थान राज्य के न्यायिक दृष्टांत से हमे मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होता है ।

इस प्रकार तनकीयात के बाबत किए गऐ विनिश्चय के फलस्वरूप वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य होने से वाद डिक्री किया जाना उचित है ।

आदेश

परिणाम स्वरूप वादीगण द्धारा प्रस्तुत यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर यह इस प्रकार डिक्री किया जाता है–

1– वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है वे अपना समस्त कब्जा वादीगण ट्रस्ट या उसके प्रतिनिधि /पूजारी को तुरन्त ही सुपुर्द करे तथा बेदखल होने के बाद वादीगण की बिना अनुमति के काश्त या कब्जा नही करें या करावे ।

2– वाद दायरी से तीन वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक 25–11–1985 से ताअदायगी प्रतिवर्ष भूमि की उपज व घास की आंकलित हर्जाना राशि 10000/– (दस हजार)की दर से प्रतिवादीगण संयुक्त व प्रथकतः वादीगण ट्रस्ट के प्रतिनिधि को अदा कर रसीद प्राप्त करेंगे । वर्तमान में यह राशि 31 वर्षो की 310000/–(तीन लाख दस हजार रूपया) निर्धारित होती है । इसे 12 किश्तों में अदा करेंगे । प्रथम किश्त आज

Scanned by CamScanner

से एक माह बाद से ड्यू होगी । अंतिम किश्त की राशि 35000/– (पैंतिस हजार)रहेगी । कोई भी तीन किश्ते चुकने पर समस्त राशि एक साथ वादीगण वसूल करने के अधिकारी होंगे । प्रतिवादीगण को यदि किश्ते अधिक प्रतीत हो तो प्रतिवादीगण के आवेदन पर वादीगण रिहायत देने स्वतन्त्र होंगे । किश्तों में की जाने वाली राशि आगे अदायगी प्रतिवर्ष ड्यू होने वाली राशि के अतिरिक्त होगी । आगे ड्यू होने वाली राशि के लिए कोई किश्त नहीं होगी । यदि अब तक की हर्जाना राशि की अदायगी व आगे ड्यू होने वाली हर्जाना राशि के भूगतान बाबत प्रतिवादीगण के हिस्सों में कोई विवाद कोई भी प्रतिवादी अनुभव करे तो वे तहसीलदार सागवाडा को आवेदन कर अपने अपने हिस्से की राशि तय करा सकते हैं तथा ऐसा आवेदन प्रतिवादीगण में से किसी के भी द्वारा प्रस्तुत होता है तो तहसीलदार सुनने के बाद तय करेंगे कि यदि कोई प्रतिवादी पृथक से काश्त कर उपज प्राप्त कर रहा है तो उसकी राशि उस अनुपात में तय करें तथा उसे तय राशि के आधार पर समग्र राशि
संकलित कर वादीगण को अदा की जावेगी। तहसीलदार सागवाडा ऐसे आवेदन को दो माह से अधिक लम्बित नहीं रख सकेंगे यदि कोई राशि वर्ष पूर्ण होने के बीच में चुकाई जाती है तो उस अनुपात में निर्धारित होगी ।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए वाद व्यय वादीगण प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे ।

निर्णय आज दिनांक 18.4.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो ।

(गोपालसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner